

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 621 दिनांक 19.2.2008 द्वारा दिनांक 1.1.2008 के प्रारंभिक स्टॉक पर आईटीसी की गणना के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

दिनांक 1.1.2008 को प्रारंभिक स्टॉक पर आईटीसी की गणना के लिए उओप्रोवैट नियमावली, 2008 के नियम 20 में स्टॉक इन्वेन्ट्री 60 दिन में दाखिल करने का प्राविधान किया गया है। नियम 20 के उपनियम (3) में यह व्यवस्था है कि स्टॉक की इन्वेन्ट्री कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी। नियम 21 के उप नियम (5) में यह व्यवस्था है कि कोई व्यापारी निर्धारित समय और निर्धारित फार्म में इन्वेन्ट्री की सूचना नहीं देता है तो उसे आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा।

नियम 19 के अंतर्गत दि० 1.1.2008 के प्रारंभिक स्टॉक पर आईटीसी की गणना कैसे की जायेगी उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत डीमड परचेज, प्राईस तथा डीमड रेट ऑफ टैक्स का उल्लेख किया गया है।

डीमड परचेज प्राईस का निर्धारण नियम-19(1) के क्लॉज (ए) में किया गया है और डीमड रेट का निर्धारण क्लॉज (बी) में किया गया है।

कुछ अधिकारियों तथा व्यापारिक संगठनों द्वारा इस बात की शंका व्यक्त की गयी है कि नियम 19(1)(ए)(vii) में जो प्राविधान किये गये हैं उनके अनुसार फार्म ए-1 में सूचना देना आवश्यक नहीं है केवल ट्रेडिंग एकाउण्ट देना आवश्यक है जिसके अनुसार स्टॉक के 55 प्रतिशत की दर से डीमड प्राईस माना जायेगा। कुछ अधिकारियों द्वारा यह शंका भी व्यक्त की गयी है कि नियम 20 के उप नियम (4) में व्यापारी को नोटिस देने पर यदि कोई कमी पूरी करता है तो भी आईटीसी का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विधिक स्थिति का ध्यान रखते हुए दिनांक 1.1.2008 के स्टॉक के संबंध में प्राप्त हुए फार्म ए व ए-1 के निस्तारण के संबंध में निम्न मार्गदर्शक निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं:-

1. नियम 20(4) के अंतर्गत दिनांक 1.1.2008 के प्रारंभिक स्टॉक पर देय आईटीसी की धनराशि के बारे में आदेश अब दि० 30.6.2008 तक पारित किये जा सकते हैं तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) से अनुमति लेकर 30 जून को अंत होने वाले टैक्स पीरियड की कर विवरणी को दाखिल करने की अवधि के पहले तक आदेश पारित किये जा सकते हैं।

2. केवल उन्हीं व्यापारियों को आईटीसी के संबंध में लाभ देय होगा जिन्होंने फार्म ए या ए-1 अनुलग्नकों सहित दाखिल किया हो।

3. फार्म ए उन व्यापारियों के लिए है जो दि० 1.1.2008 के स्टॉक को बिल से सत्यापित करा देते हैं कि उनके पास उपलब्ध स्टॉक किन किन बिलों से संबंधित हैं। जो व्यापारी यह सत्यापित कराने में असमर्थ रहते हैं तो वे दि० 1.1.2008 को स्टॉक की सूचना प्रारूप ए-1 में दे सकते हैं। परन्तु दोनों परिस्थितियों में फार्म ए अथवा ए-1 दाखिल करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यापारी फार्म ए या ए-1 अनुलग्नक सहित दाखिल नहीं करता है तो उसे आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा।

4. जिन मामलों में सूचनाएं सही हैं उन मामलों में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 621 दि० 19.2.2008 के अनुसार आदेश पारित करके व्यापारी को आदेश की तामीली कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. जिन मामलों में सूचनाएं अपूर्ण या गलत या अविश्वसनीय हैं परन्तु फार्म ए या ए-1 संलग्नकों सहित दाखिल हैं अथवा जिनमें लिपिकीय त्रुटि हैं उनको नोटिस देने पर यदि सूचना सही कर दी जाती है या कमियों को पूरा कर दिया जाता है तो ऐसे मामलों में नियमानुसार आईटीसी का लाभ दिया जायेगा। जिन मामलों में कमियां पूर्ण नहीं की जाती हैं या दी गयी

सूचना गलत पायी जाती हैं उन मामलों में नियमानुसार गुण अवगुण के आधार पर आदेश पारित करते हुए आई0टी0सी0 का दावे का निस्तारण किया जायेगा।

सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि माह जुलाई 08 के पश्चात कुछ व्यापारियों की पत्रावलियों का परीक्षण मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा और यह देखा जायेगा कि आदेश नियमानुसार पारित किये गये हैं अथवा नहीं तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनावश्यक रूप से कोई करनिर्धारण अधिकारी यदि किसी व्यापारी का उत्पीड़न करता है तो उसके विरुद्ध भी कड़ा रुख अपनाया जायेगा। पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 621 दि० 19.2.2008 उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है। आपको निर्देशित किया जाता है कि इनकी पर्याप्त प्रतियां कराकर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा व्यापारिक संघों को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(दीपक कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. श्री एस०सी०द्विवेदी/श्री यू०सी०दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०।
5. समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
6. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
7. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)/(वि०अनु०शा०)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
9. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
10. प्रबन्धक, इंसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
11. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
12. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट ऑफिस ऑफ द ए०जी०ऑडिट, 11-सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
13. विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
14. ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
15. ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
16. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियां।
17. वैट अनुभाग को 100 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
18. समस्त डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
19. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
20. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, 185/293, अमीनाबाद रोड, लखनऊ।
21. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15, माल एवेन्यू, लखनऊ।
22. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र०उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 87/349, आर्यनगर, संगीत टाकीज के पीछे, कानपुर।

23. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
24. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29-बी, विधायक निवास, दारुलसफा, लखनऊ।
25. मर्चेन्ट चेम्बर ऑफ कॉमर्स, 14/26, सिविल लाइन्स, कानपुर।
26. एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डो, 2/210, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
27. पी०एच०डी० चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डो, 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।
28. अवध चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साईकिल इण्ड, ऐशबाग रोड, लखनऊ।
29. आल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन, डी-4, साईट संख्या-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।
30. कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डो एसो, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
31. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर के माध्यम से।
32. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय, 10 इन्जीनियर्स कॉम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
33. श्री शिव कुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश, टैक्स बार एसो० जमुना विहार, एस०एस० कॉलेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
34. प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ, डीन, फैंकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
35. श्री मदन मोहन भारतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र० शासन, 26/103, बिरहाना रोड, कानपुर।
36. प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15, टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
37. डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
38. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी० टैक्स बार एसो०, 235, सीताराम, आजमगढ़।
39. श्री अशोक धवन, सी०के०-24/1, कुंज गली, चौक, वाराणसी।
40. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल, 707, पंचशील कॉलोनी, महाबीर चौक, मुजफ्फरनगर।
41. श्री पी०एस० जैन, 138-ए, ब्लॉक-ए, सेक्टर-27, नोएडा।
42. श्री ब्रित चावला, महासचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० ट्रक ऑपरेटर्स फेडरेशन (रजि०) पुलदाल मण्डी, सहारनपुर।
43. श्री आर०डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
44. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा० ज० पा० निवासी, 60-चाहचन्द, इलाहाबाद।
45. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मण्डल, उ०प्र०, 19-सुरेश बाग, कानपुर।
46. इण्डियन इण्डो एसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मुजफ्फरनगर।
47. संयोजक, टैक्सेशियो एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेस्टर्न यू०पी० (रजि०) 52, नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरबाग रोड, मेरठ।
48. टैक्सेशन बार एसोसिएशन, ट्रेड टैक्स बार रूम, जयपुर हाउस, आगरा।
49. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प०स्टेट लि०, 51-बी, उद्योग नगर, कानपुर।
50. श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू०पी० रोलर फ्लोर मिलर्स एसो०, 3-एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
51. श्री दिनेश अरोरा, उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो०, 51/58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर।
52. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो०, 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
53. श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ।
54. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०) बी-29, विधायक निवास, दारुलशफा, लखनऊ।
55. माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
56. श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, ऑल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27-ए, मिशन कम्पाउण्ड, मेरठ।
57. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ०प्र० कागज कॉपी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी०एन० रोड, अमीनाबाद, लखनऊ।

58. अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड, फेज-2, गोमतीनगर, लखनऊ।
59. वैट लॉ जरनल, 10, नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसरगंज रोड, मेरठ।
60. श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैंप कार्यालय, इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
61. श्री मनीष शर्मा, लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर-15/5, राजनगर, गाजियाबाद।
62. श्रीमती इन्दू मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।